



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1811]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2012/भाद्र 22, 1934
No. 1811]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2012/BHADRA 22, 1934

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2012

का.आ. 2172(अ).—सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठनीय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नीचे दी गई अनुसूची - I में उल्लिखित व्यौरों के अनुसार सांख्यिकी सर्वेक्षण, जिसे इसके बाद 'उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12' कहा गया है, के माध्यम से विनिर्माण एवं इससे संबंधित कार्यकलापों के बारे में आंकड़े एकत्र करने का एतद्वारा निदेश देता है।

2. मंत्रालय उपरोक्त निदेश के संदर्भ में नीचे दी गई अनुसूची - II में उल्लिखित व्यक्तियों तथा साथ ही कार्यालय में उनके प्रतिनिधियों को उनके नामों के आगे दिखाई गई भौगोलिक यूनिट के संबंध में सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

3. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को प्रत्येक सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करने, तत्संबंधी रिकॉर्डों का निरीक्षण करने, तथा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उस सांख्यिकी अधिकारी के कार्य क्षेत्र में लगाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो-पहचान पत्र अथवा प्राधिकार-पत्र साथ रखेगा।

4. सूचनादाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का विधिवत सत्यापन और जांच के बाद उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के भाग-I में संग्रहीत सांख्यिकी का उप महानिदेशक का कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध), कोलकाता में कार्यरत अधिकारियों द्वारा विधायन किया जाएगा और श्रम ब्यूरो में कार्यरत अधिकारी इसके भाग-II में संग्रहीत सांख्यिकी का विधायन करेंगे।

5. उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 से संबंधित किसी भी कार्यकलाप से जुड़े सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) तथा सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे। किसी भी सांख्यिकी अधिकारी को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) अथवा (6) के तहत कोई शक्ति नहीं दी गई है।

अनुसूची - I

सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन

1. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के माध्यम से संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, संरचना और ढांचे से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया, मरम्मत सेवाएं, गैस तथा जलापूर्ति और शीत भंडारण से संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं।

सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में आयोजित किया जाता है।

आंकड़ा संग्रहण का रीति-विधान

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सूचनादाताओं को नोटिस जारी करेगा, जिसमें तारीख जब तक, अधिकारी अथवा कार्यालय जिसे, इकाई अथवा इकाइयां जिनके लिए, और प्रपत्र जिसमें सूचना देना अपेक्षित है, का ब्यौरा दिया जाएगा। सांख्यिकी अधिकारी ऐसी अन्य शर्तों पर निर्भर करते हुए जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हों, सूचनादाता को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में निर्धारित सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

सूचनादाताओं का प्रकार जिनसे आंकड़े एकत्र किए जाएंगे

4. इकाई [अर्थात् कोई फैक्ट्री या बिजली अथवा गैस या जलापूर्ति प्रतिष्ठान अथवा बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्त) अधिनियम, 1966 के तहत पंजीकृत कोई प्रतिष्ठान] का मालिक अथवा पदाधिकारी जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस दिया जाएगा, इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराएगा।

5. सांख्यिकी अधिकारी ऐसे मामले में, जहां विभिन्न इकाइयों के लिए अलग-अलग सूचना उपलब्ध नहीं है, एक ही प्रबंध-मंडल के अधीन दो अथवा अधिक इकाइयों के संबंध में मालिक अथवा पदाधिकारी से सूचना मांग सकता है और यह ऐसी अन्य शर्तों पर निर्भर करेगा, जिन्हें वह नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा।

अवधि जिसमें सांख्यिकी संग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा

6. नोटिस में प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा और आमतौर पर यह तारीख सितम्बर, 2012 से जून, 2013 के दौरान होगी।

संदर्भ अवधि

7. 01 अप्रैल, 2011 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा 01 अप्रैल, 2011 और 31 मार्च, 2012 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होने वाले इकाई के लेखाकरण वर्ष के लिए सूचना उपलब्ध करानी होगी।

एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति

8. मांगी गई सूचना के दो भाग हैं। पहला भाग-परिसम्पत्तियों और देयताओं, रोजगार तथा श्रमिक लागत, प्राप्तियां, व्यय, इनपुट मर्दे-देशीय और आयातित उत्पाद तथा उप-उत्पाद, वितरण संबंधी व्यय इत्यादि पर सूचना से संबंधित है। दूसरा भाग श्रमिक सांख्यिकी नामतः कार्यदिवस, श्रम दिवस जिन पर काम किया गया, अनुपस्थिति, श्रमिक परिवर्तन, कार्य करने के घंटे, आय तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के विभिन्न पहलुओं पर सूचना से संबंधित है।

भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत की जानी है।

9. सूचनादाता हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करेगा।

सूचनादाता की बाध्यताएं

10. इकाई का मालिक अथवा पदाधिकारी सूचना उसी प्रकार तथा उस तिथि तक प्रस्तुत करेगा जैसा कि संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लेख किया गया हो। उसे निरीक्षण हेतु संबंधित रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करने होंगे, तथा सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवश्यकतानुसार मांगी जाने वाली सूचना के संबंध में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

कारोबार के रिकॉर्डों तथा अन्य रिकॉर्डों की प्रकृति जिनका निरीक्षण किया जा सकता है:

11. सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबार के रिकॉर्डों जैसे कि तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाते, मस्टर रोल, हाजिरी रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, पे-रोल, निदेशक की रिपोर्ट अथवा इकाई द्वारा प्रस्तुत सूचना के समर्थन में किसी भी अन्य वैधानिक दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है।

निरीक्षण का तरीका

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति इकाई के कारोबार के रिकॉर्डों तथा अन्य रिकॉर्डों के आधार पर उस इकाई द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन कर सकता है तथा संबंधित मालिक अथवा पदाधिकारी अथवा इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

अनुसूची-11

क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	अधिकार क्षेत्र (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)	पता
1.	श्री राम कृष्ण, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला	हिमाचल प्रदेश	बोसवेल विला, दीपक प्रोजेक्ट, पो.ओ. समर हिल, बाँयलगंज, शिमला- 171005
2.	श्री एस.के. दास, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	हरियाणा व चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसएसओ(एफओडी), छठा तल, केंद्रीय सदन, सेंक्टर-9-ए, चंडीगढ़-144022
3.	श्री आर.के. भटनागर, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर	पंजाब	348, जसवंत नगर, गढ़ा रोड नियर गुरुद्वारा, जालंधर शहर-144022
4.	श्री पी.के. डे, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	दिल्ली	एनएसएसओ (एफओडी), ईस्ट ब्लॉक- 6, आर.के. पुरम, नई दिल्ली- 110066.
5.	श्री एस.एल. मनेरिया, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	राजस्थान	प्लॉट नं.70/149 से 154 पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020
6.	श्री विपिन कुमार गुप्ता, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	293/7, प्रथम तल, आरएंडबी कॉम्प्लेक्स, महावीर मार्ग, ए.सी.गाईस, हैदराबाद-500004
7.	श्री अहमद अयूब बी., उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर	कर्नाटक	पांचवां तल ईएंडएफ-विंग, केंद्रीय सदन (सीजीओ), 17 मेन-दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला, बंगलौर-560034
8.	श्री के.पी. उन्नीकृष्णन उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), जोनल कार्यालय, बंगलौर	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	दूसरा तल बी-विंग, केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बंगलौर-560034
9.	श्री जी. सुब्रमणियम, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	बी विंग, दूसरा तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन, 26, हैडोस रोड, नुंगमवक्कम, चैन्नई-600006

10.	श्री सुब्रत धार, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	केरल	ब्लॉक-बी, भूतल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पून्कुलम, वेलायानी (पो.ऑ.) त्रिवेंद्रम- 695522
11.	श्री जी. मोहन राव, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली	गोआ	दूसरा तल, श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स, नीलीगिन रोड, हुबली-580029.
12.	श्री हरबिन्दर सिंह, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), ज़ोनल कार्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	सर्वेक्षण भवन, आईएनएस-IV, सेक्टर- 11, विकास नगर, रिंग रोड, लखनऊ- 226022.
13.	श्री योगेन्द्र सिंह, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	उत्तराखंड	5-इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, माजरा, देहरादून-248171.
14.	श्री प्रवीण श्रीवास्तव, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	हॉल सं.201 और 205 विजय स्तंभ,, ब्लॉक 'बी', दूसरा तल, एमपी नगर ज़ोन-1, भोपाल-462011.
15.	श्री तपस कुमार साहा, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	बिहार	मारकंडेय कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हयात्री मंदिर रोड, पटना
16.	श्री आर.पी. मिश्रा, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	उड़ीसा	कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, आचार्य विहार, भुवनेश्वर-751013.
17.	श्री ज्योतिर्मय पोद्दार, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	प. बंगाल	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, ई- विंग, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता-700064
18.	श्री टी.के. सान्याल, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, रांची	झारखंड	आत्मा राम भवन, तीसरा तल, बंगला स्कूल लेन, महावीर मंदिर मेन रोड के पीछे, रांची- 834001.
19.	श्री बी.के. त्यागी, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), ज़ोनल कार्यालय, गुवाहाटी	मणिपुर, नागालैंड	तीसरा तल, सी-ब्लॉक, बी-विंग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, बसिस्था रोड, दिसपुर, गुवाहाटी- 781006.

20.	श्री कृष्ण कुमार, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	असम	तीसरा तल, सी-ब्लॉक, बी-विंग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, दिसपुर गुवाहाटी-781006
21.	श्री डी.के. बैनर्जी, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग	मेघालय, त्रिपुरा	"दत्ता कुटीर", ओकलैंड रोड, शिलांग- 793001.
22.	श्री एस. चटोपाध्याय, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, गंगटोक	सिक्किम	रिजजिंग बिल्डिंग, गैरी गॉव टडांग पोस्ट ऑफिस, गंगटोक-737102.
23.	श्री एस.के. जाना, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई	महाराष्ट्र	चतुर्थ तल, ए-2/3 विंग, कॉकण भवन के समीप, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई -400614
24.	श्री सुवेन्दु हाज़रा, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	गुजरात, दादरा तथा नगर हवेली(संघ राज्य क्षेत्र) तथा दमण तथा दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	दूसरा तथा तीसरा तल, डॉक्टर-हाउस, नियर परिमलरेलवे क्रॉसिंग, सी.जी. रोड, अहमदाबाद-380006
25.	श्री विजय कुमार, उपमहानिदेशक एनएसएसओ(एफओडी), क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ़	प्रथम तल, सूर्या अपार्टमेंट, नेताजी चौक, कटोरा तालाब, रायपुर- 492001

[फा. सं. पी-11012/3/2011-ईएसडी]

अरविंद कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2012

S.O. 2172(E).— In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Statistics & Programme Implementation hereby directs collection of statistics on manufacturing and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as 'the Annual Survey of industries 2011-12', as per the details mentioned in the Schedule-I given below.

2. The Ministry further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule-II given below, as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction.

3. The persons authorized by the concerned Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each person would carry a photo identity card or a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer.

4. The statistics collected in Part-I in respect of the Annual Survey of Industries 2011-12 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by officials working at the Office of the Deputy Director General, Central Statistics Office (Industrial Statistics Wing), Kolkata and the statistics collected in Part-II thereof will be processed by officials working at the Labour Bureau.

5. All the persons engaged in any activity in respect of the Annual Survey of Industries 2011-12 are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011. No power has been delegated to any Statistics Officer under sub-sections (4) or (6) of section 4 of the Act.

SCHEDULE-I

Subject and purpose for collection of Statistics

1. Statistics relating to growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage is collected through Annual Survey of Industries 2011-12.

Geographical area for collection of statistics

2. The Annual Survey of industries 2011-12 is conducted in the whole of India, except the State of Jammu & Kashmir, under the Collection of Statistics Act, 2008.

Method of data collection

3. A notice will be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. A Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

Nature of informants from whom data may be collected

4. The owner or occupier of a unit [i.e. a factory or electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966] who would be issued notice by a Statistics Officer shall furnish information about the unit.

5. A Statistics Officer may require an owner or occupier to furnish consolidated information in respect of two or more units under single management in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions, as he may specify, in the notice.

Period during which collection of statistics may be completed

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall during September, 2012 to June, 2013.

Reference Period

7. Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April, 2011 and ending on 31st March, 2012 or for the accounting year of a unit ending on any date between 1st April 2011 and on 31st March, 2012.

Nature of information to be collected

8. The information required has two parts. Part-I relates to information on assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items- indigenous and imported, products and by-products, distributive expenses etc. Part-II relates to information on different aspects of labour statistics, namely, working days, mandays worked, absenteeism, labour turnover, man-hours worked, earning and social security benefits.

Language in which information is to be furnished by informant.

9. An informant shall furnish information in the prescribed formats either in Hindi or in English.

Obligation of informant

10. An owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorized by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

11. Business records of a unit, such as balance sheet, profit & loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

The manner of inspection:

12. The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

SCHEDULE-II

Sl. No.	Statistics Officer	Jurisdiction (State / UT)	Address
1	Shri Ram Krishna, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Shimla	Himachal Pradesh	Bosewell Villa, near Deepak Project, PO Summer Hill, Boileauganj, Shimla- 171005.
2	Shri S. K. Das, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Chandigarh	Haryana & Chandigarh (UT)	NSSO (FOD), 6th Floor, Kendriya Sadan, Sec-9-A, Chandigarh-160017
3	Shri R. K. Bhatnagar, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Jalandhar	Punjab	348, Jaswant Nagar, Garha Road near Gurudwara, Jalandhar City-144022.
4	Shri P. K. De, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Delhi	Delhi	NSSO(FOD), East Block-6, R.K. Puram, New Delhi-110066.
5	Shri S. L. Menaria, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Jaipur	Rajasthan	Plot No.70/149 to 154 Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020.
6	Shri Vipin Kumar Gupta, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Hyderabad	Andhra Pradesh	293/7, 1st Floor, R&B Complex, Mahavir Marg, A.C. Guards, Hyderabad-500004.
7	Shri Ahmed Ayub B., Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Bangalore	Karnataka	V Floor E&F - Wing, Kendriya Sadan (CGO), 17 Main- 2 nd Block, Koramangala, Bangalore-560034.
8	Shri K. P. Unnikrishnan, Dy. Director General NSSO(FOD), Zonal Office, Bangalore	Andaman & Nicobar Island (UT)	2 nd Floor, B Wing, Kendriya Sadan, Koramangala, Bangalore-560034.
9	Shri G. Subramaniam, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Chennai	Tamilnadu, Pondicherry (UT)	'B' Wing, II Floor, III Block, Shastri Bhawan, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600006.
10	Shri Subrata Dhar, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Thiruvananthapuram	Kerala	Block B, Ground Floor, CGO Complex, Poonkulam, Vellayani P.O. Trivandrum-695522.
11	Shri G. Mohan Rao, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Hubli	Goa	2 nd Floor, Srinath Complex, Neeligin Road, Hubli-580021.


3476 GI/12-3

Sl. No.	Statistics Officer	Jurisdiction (State / UT)	Address
12	Shri Harbinder Singh Dy. Director General NSSO(FOD), Zonal Office, Lucknow	Uttar Pradesh	Sarvekshan Bhavan, Sector-11, INS-IV, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022.
13	Shri Yogendra Singh, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Dehradun	Uttarakhand	5, Indira Gandhi Marg, Niranjanpur, Majra. Dehradun-248171
14	Shri Pravin Srivastava, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Bhopal	Madhya Pradesh	Hall No. 201 & 205, Vijay Stambh, Block-B, 2 nd Floor, M.P. Nagar, Zone-I, Bhopal-462011.
15	Shri Tapas Kumar Saha, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Patna	Bihar	Markandey Complex, 1st Floor Hayatri Mandir Road, Patna.
16	Shri R. P. Mishra, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Bhubaneswar	Orissa	Commercial Complex, 1st floor, Acharya Vihar, Bhubneswar-751013
17	Shri Jyotirmoy Poddar, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Kolkata	West Bengal	CGO Complex, 2nd Floor, E-Wing, Sector-I, Bl.DF, Salt Lake, Kolkata-700064.
18	Shri T.K. Sanyal, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Ranchi	Jharkhand	Atma Ram Bhawan, 11 th Floor, Bangla School Lane, Behind Mahabir Temple, Main Road, Ranchi-834001.
19	Shri B. K. Tyagi, Dy. Director General NSSO(FOD), Zonal Office, Guwahati	Manipur, Nagaland	3 rd Floor, C-Block, B-Wing, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur, Guwahati-781006.
20	Shri Krishna Kumar, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Guwahati	Assam	3 rd floor, C-block, B-wing Housefed Complex, Dispur, Guwahati-781006.
21	Shri D. K. Banerjee, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Shillong	Meghalaya, Tripura	"Dutta Kuthir", Oakland Road, Shillong-793001.
22	Shri S. Chattopadhyay, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Gangtok	Sikkim	Rinzingh Building, Gairi Gaon, Post Office-Tadong, Gangtok-737102.

Sl. No.	Statistics Officer	Jurisdiction (State / UT)	Address
23	Shri S. K. Jana, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Mumbai	Maharashtra	4th Floor, A-2/3, Wing, near Konkan Bhawan, CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400614
24	Shri Suwendu Hazra, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Ahmedabad	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli(UT) &Daman and Diu (UT)	2 nd & 3 rd floor, Doctor-House, Near Parimal Rly. Xing, C.G.Road, Ahmedabad-380006.
25	Shri Vijay Kumar, Dy. Director General NSSO(FOD), Regional Office, Raipur	Chhattisgarh	1st Floor, Surya Apartment, Netaji Chowk, Katora Talab, Raipur -492001

[F.No. P-11012/3/2011-ESD]

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.



The page contains faint, illegible text that appears to be bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to be accurately transcribed.